भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1185

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राज्य सरकारों की बीपीएल आवास योजनाओं हेतु डीआरआई आवास ऋण का विस्तार

1185. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों की गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) के लिए आवास योजना के लाभार्थियों को गृह ऋण के लिए 20,000 रुपये की विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लाभार्थियों के समान ही उपलब्ध है;
(ख) राज्य प्रायोजित आवासीय योजनाओं के बीपीएल लाभार्थियों को डीआरआई ऋणों के अन्य लाभों से क्यों वंचित रखा जा रहा है;
(ग) क्या डीआरआई योजना का विस्तार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवास सहायता योजनाओं के बीपीएल लाभार्थियों तक किया जाएगा; और
(घ) क्या इंदिरा आवास योजना के अनुसार डीआरआई ऋण की सीमा को 20,000 रु॰ से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाएगा?

<u>उत्तर</u>

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री लालचंद कटारिया)

(क)और (ख): आरबीआई द्वारा दिए गए मौजूदा निदेशों के अनुसार विभेदक ब्याज योजना के अंतर्गत आईएवाई लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। केंद्र सरकार राज्य द्वारा प्रायोजित आवासीय योजना के डीआरआई ऋणों पर निर्णय नहीं ले सकती है।

(ग)और (घ): जी, नहीं। डीआरआई ऋण की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।